संसद के समक्ष अभिभाषण – 21 फरवरी 1991

लोक सभा	–	नौवीं लोक सभा
सत्र	–	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	–	श्री आर. वेंकटरमन
भारत के उपराष्ट्रपति	–	डॉ. शंकर दयाल शर्मा
भारत के प्रधानमंत्री	–	श्री चन्द्रशेखर
लोक सभा अध्यक्ष	–	श्री रवि राय

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस नये अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने बजट और विधायी कार्य हैं, उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

हम अत्यन्त कठिन एवं चुनौतीपूर्ण समय में मिल रहे हैं। देश की एकता और अखण्डता को गंभीर खतरा है। साम्प्रदायिक और विघटनकारी तत्व राष्ट्र के लिए संकट बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत कठिन है। खाड़ी संकट से मुद्रास्फीति बढ़ी है, भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के ढांचे में गहन परिवर्तन हुआ है और जो नक्शा बन रहा है वह हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। जिस स्थिति में हम आज हैं वह पहले की तुलना में कहीं अधिक यह मांग करती है कि देश को वर्तमान संकट से उबारने के लिए भारत के लोग एकजुट हो जाएं और इसे समृद्धि एवं प्रगति के पथ पर लाएं। हमें आंतरिक कलह और छोटे-मोटे झगड़ों और उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो संकीर्ण हैं, स्वार्थपूर्ण हैं और फूट डालने वाली हैं तथा राष्ट्र के हित मे एकजुट हो जाना चाहिए। कठिनाइयों के इस दौर में हमें आधारभूत सिद्धांतों–लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद–जो हमारी राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ हैं, के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी।

पिछले वर्ष देश की कानून और व्यवस्था की समग्र स्थिति में गिरावट आई। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हिंसा जारी है। असम में उल्फा की गतिविधियों में

अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्ष के उत्तरार्ध में साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ गई और जातिगत हिंसा भी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश और बिहार उग्रवादी हिंसा से प्रभावित रहे।

पंजाब की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है सरकार उन सब लोगों के दु:ख और गम में शरीक है जो आतंकवाद की निरर्थक हिंसा के शिकार हुए हैं। सरकार आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने और शांति की स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। खोजबीन करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीमा पार से घुस-पैठ और हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार की राय है कि पंजाब समस्या का राजनैतिक हल निकालने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने कई पहलें की हैं। राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के अलावा सरकार का उग्रवादियों के साथ भी बातचीत करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक क्रियाकलापों में लगाया जा सके।

जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और कुछ कट्टरपंथी तत्व सीमा-पार से सहायता और प्रोत्साहन पाकर कुछ समय से आतंकवाद और तोड़-फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं। सरकार का मानना है कि यदि उग्रवादियों को बाहरी सहायता न मिले तो जम्मू और कश्मीर में तोड़-फोड़ की गतिविधियों में काफी हद तक कमी आएगी। सरकार को आशा है कि अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत से स्थिति में परिवर्तन होगा और इससे राज्य में सामान्य जीवन बहाल होगा।

इस वर्ष असम में अलगाववादी गतिविधियों में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसमें विधान सभा के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं कराए जा सकते थे और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती थी। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और राज्य की विधान सभा को स्थगित कर दिया गया। अलगाववादियों से निपटने के लिए असम राज्य "अशान्त क्षेत्र" और उल्फा को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया। सेना और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है जिन्हें वहां सफलता मिल रही है। जैसे ही परिस्थितियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल होंगी, वहां चुनाव कराए जाएंगे।

सरकार भारत के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पंजाब, कश्मीर तथा असम की समस्याओं का स्वीकार्य हल निकालने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहती है।

श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रांत में बिगड़ती हुई स्थिति के कारण मुख्यत: तमिलनाडु राज्य में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए हैं। शरणार्थियों के अतिरिक्त, "लिट्टे" के अनेक लड़ाकू संगठन तमिलनाडु में स्थलों का उपयोग अपने कार्यकलापों के लिए कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त किए जाने के बावजूद, तमिलनाडु में स्थिति बिगड़ती गई और आमतौर पर यह समझा गया कि "लिट्टे" के सदस्य अपनी गतिविधियां बेझिझक जारी रख सकते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में "लिट्टे" संगठन

के सदस्य विरोधी तमिल गुट के 15 व्यक्तियों की हत्या कर फरार होने में सफल हो गए। संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं थी और केन्द्र के सहायता-प्रस्ताव का राज्य सरकार द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। लिट्टे की कई गैर-कानूनी हरकतों की सूचना मिलने तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में असफल होने के कारण तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवा सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया था। परन्तु सरकार राज्य में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बहाल करने के लिए इच्छुक है।

हमारे देश का साम्प्रदायिक सामंजस्य मुख्यत: रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बिगड़ा है। सरकार ने धार्मिक नेताओं और दूसरे लोगों से विचार-विमर्श के माध्यम से इस मसले का समाधान करने के लिए नई पहल की है ताकि कोई परस्पर स्वीकार्य हल निकल सके। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और सारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाया जाए।

पिछले वर्ष मार्च में मैंने आपके समक्ष अपने अभिभाषण में, राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सहमति प्राप्त करने तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हेतु एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन करने की सरकार की इच्छा के बारे में जिक्र किया था। मुझे प्रसन्नता है कि इस परिषद् का गठन हो चुका है और अक्तूबर, 1990 में इसकी पहली बैठक हुई है।

देश में आर्थिक स्थिति गंभीर चिन्ता का विषय है। बजट घाटे, तेल संकट, भुगतान शेष की गिरती स्थिति और मुद्रास्फीति की पेचीदा स्थिति ने लोगों, विशेषकर समाज के गरीब तबकों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। सरकार ने इन बुराइयों का सामना करने के लिए एक बहुमुखी रणनीति आरम्भ की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी खर्च और मुद्रा आपूर्ति में भारी कटौती करना, अल्पावधि उपायों के रूप में आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति का उन्नत प्रबंध करना और दीर्घावधि उपायों में उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है। वित्तीय असन्तुलन ने इससे पहले लगातार मुद्रास्फीति में वृद्धि को बनाए रखा है। इन्हें रातों-रात या केवल एक कदम उठाकर ठीक नहीं किया जा सकता। स्थिति से निपटने के लिए कठोर विकल्पों और कड़े उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने वर्ष 1991 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने और व्यय में कटौती करने के लिए दिसम्बर, 1990 में एकमुश्त उपायों की घोषणा की थी। इस भयावह स्थिति का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की तुरन्त आवश्यकता है। यह प्रस्ताव है कि विकास कार्य के लिए संसाधनों और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की जाए।

खाड़ी संकट के कारण भुगतान शेष की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है और इसके परिणामस्वरूप 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ पड़ने की आशंका है। यह संतोष की बात है कि खाड़ी संकट से उत्पन्न किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की हमारी अग्रिम योजना हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए समय रहते यह कार्रवाई की कि हमारे पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार संतोषजनक स्तर पर बने रहें। अल्प अवधि में भुगतान शेष के दबाव को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निर्यात संवर्धन, आयात पर नियंत्रण और विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक अन्त:प्रवाह शामिल हैं।

इस वर्ष विदेश व्यापार की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-नवम्बर, 1990 की अवधि में निर्यात वृद्धि दर, डॉलरों में केवल 12.9 प्रतिशत रही है, जबकि आयात में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां भी आई हैं और कुछ उत्पादों के निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई है। इंजीनियरी सामान, सूती कपड़ा तथा सिले-सिलाए वस्त्र, चमड़ा और चमड़े से बने सामान तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की स्थिति उत्साहवर्धक रही है। सरकार निर्यात के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को उच्च प्राथमिकता देगी। इस सम्बन्ध में विशेष कर बड़े औद्योगिक घरानों से निर्यात क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने की अपेक्षा की जाएगी। भारतीय उद्योगों की प्रतियोगिता क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर लगातार ध्यान दिया जाएगा। जब कभी समग्र रूप से कार्यकुशलता में सुधार लाए जाने की आवश्यकता होगी तो औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्गठन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने 1991-92 के लिए तैयार की गई निर्यात नीति में इन बातों को सम्मिलित किया है।

इस गंभीर आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हम आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के कार्य में लगे हैं। हालांकि स्थिति विकट है किन्तु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम है। हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति हमारी जनशक्ति है और हम अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में हमारी उपलब्धता ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। देश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अच्छी वर्षा हुई है। रबी की फसल भी अच्छी होने की आशा है। चालू वर्ष के खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 175.5 मिलियन टन होने की संभावना है। हमारा खाद्यान्नों का भण्डार संतोषजनक स्थिति में है।

योजना दस्तावेज को मार्च, 1991 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जनता में बड़े पैमाने पर व्याप्त गरीबी को हटाने, उत्पादक रोजगार के अवसरों के विस्तार और अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया

जाएगा। संसाधनों की कमी को देखते हुए हमें प्राथमिकताओं के चयन में अधिक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक बुनियादी ढांचे विशेषकर ऊर्जा, चालू परियोजनाओं को पूरा करने, सिंचाई, घरेलू स्तर पर खाद्य सामग्री संबंधी सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा और दलितों तथा आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अन्य प्रमुख विशेषताओं में पर्यावरण की रक्षा करना और भूमि तथा जल संसाधनों में आई गिरावट को रोकना, कृषि सम्बंधी उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करना, कृषि अनुसंधान कार्य की ओर अधिक सुव्यवस्थित ध्यान देना, कृषि ऋण प्रणाली को मजबूती प्रदान करना, और अधिक उत्पादकता तथा कुशल प्रबन्ध के माध्यम से पहले से किए गए निवेशों से और अधिक प्रतिफल प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना एवं विकास संबंधी प्रशासन को समुचित रूप से विकेन्द्रीकृत करना आदि शामिल होगा। सरकार कृषि विकास को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। कृषि नीति संकल्प को संसद के समक्ष इसी सत्र में रखे जाने की आशा है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ठोस जल प्रबन्ध आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे छिड़काव, सिंचाई इत्यादि द्वारा उपलब्ध आपूर्ति का बेहतर उपयोग करने और लघु सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देते हुए जल संसाधनों में वृद्धि करने के प्रयास किए जायेंगे।

वर्ष 1990-91 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) में विविधता लाने तथा उसे एक नई दिशा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सभी जिलों में आईआरडीपी के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने वाले सामूहिक प्रयत्नों को बढ़ावा देना तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को तथा महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दुगनी कर दी जाए। जवाहर रोजगार योजना को जारी रखा गया है।

सरकार औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। औद्योगिक विकास को, विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में, और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 8वीं योजना के दौरान देशभर में नई विकास केन्द्र योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। सरकार विशेषरूप से खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास द्वारा ग्रामीण औद्योगीकरण पर भी बल देगी। लघु क्षेत्र के उद्योग, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा देश के निर्यात प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, के विकास के संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। औद्योगिक नीति पर एक विवरण इस सत्र में संसद के समक्ष रखा जाएगा।

सरकार इलैक्ट्रॉनिक उद्योग की, विशेषरूप से निर्यात के क्षेत्र में, अत्यधिक विकास की सम्भाव्यताओं से अवगत है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि इस सम्भाव्यता को प्राप्त किया जा सके। सरकार का यह प्रयास होगा कि वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किया जाए।

सरकार आधारित संरचना क्षेत्र पर पूरा ध्यान देगी। कोयला संसाधनों का विकास किया जाएगा और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। खनिज विकास के क्षेत्र में उत्पादन-प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाएगा। इस्पात के मामले में आधुनिकीकरण और क्षमता के विस्तार के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना लक्ष्य होगा। सरकार कच्चे तेल के देशी उत्पादन को बढ़ाने को अत्यधिक महत्व देती है। तेल को बचाने के उपायों को प्रोत्साहन देते हुए सरकार औद्योगिक और कृषि उत्पादन को संरक्षण देने के प्रति जागरूक है। कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अपारम्परिक और पुन: उपयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास जारी रहेंगे। संचार के क्षेत्र में सरकार दूरसंचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। समझौता ज्ञापन पद्धति के माध्यम से कार्यक्षमता में सुधार करने की वर्तमान नीति और उपक्रमों पर भी लागू किया जाएगा।

हमारे वैज्ञानिकों ने देश के विकास के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून, 1990 में इनसेट-1 डी का सफलतापूर्वक छोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनसेट-2 उपग्रह का विकास और उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी आईआरएस शृंखला का डिजाइन विकास संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। जीव प्रौद्योगिकी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, में प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रोटीन इंजीनियरी और मानव आनुवंशिकी जैसे उच्चस्थ क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। लोगों के ठोस लाभों के लिए वैज्ञानिक विकास का उपयोग करना हमारी विज्ञान नीति का लक्ष्य होगा।

हमारा विकास का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे। ऐसा विकास जो पर्यावरण का विनाश करता है, जीवन के मूलाधार को नष्ट करता है, आत्मघाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। एक दस वर्षीय राष्ट्रीय वनप्रान्त कार्य योजना तैयार की गई है। जिसमें लोगों की सहभागिता पर बल दिया गया है। विकास आयोजना हेतु एकीकृत ढांचा बनाने के लिए एक संरक्षण नीति तैयार की जा रही है। प्रदूषण पर रोक और उसमें कमी लाने संबंधी नीति में तकनीकी निवेशों और कचरे की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान की जाएगी और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को संहिताबद्ध किया जाएगा ताकि जो लोग पर्यावरण की हानि से पीड़ित होते हैं उन्हें राहत देने में सहायता मिल सके।

सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बदनसीब पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने का भरसक प्रयास किया जाएगा।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। उनके शौर्य, व्यावसायिक दक्षता और कर्तव्य-परायणता के कारण भारत का नाम ऊंचा रहा है। उन्होंने मातृभूमि के लिए जो बलिदान किए हैं, राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा है और वे किसी भी बाहरी खतरे का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार हैं। सरकार, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के कार्मिकों की कल्याण योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हमारी सशस्त्र सेनाओं की खास जरूरतों को पूरा करने में हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में जो महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं उसके लिए हमें उन पर गर्व है। इन्टीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। पिछले वर्ष जमीन से जमीन पर मार करने वाली 'पृथ्वी' मिसाइल तथा रिएन्ट्रो टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट 'अग्नि' का सफल परीक्षण करके अब हम इस साल मध्यम दूरी की, जमीन से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल 'आकाश' का परीक्षण करने तथा तीसरी पीढ़ी की टैंकरोधी मिसाइल 'नाग' का परीक्षण करने में सफल हुए हैं।

देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के हमारे प्रयास और आर्थिक विकास करने की हमारी कोशिशें अन्ततोगत्वा केवल लोगों की पूर्ण भागीदारी से ही सफल हो सकती हैं। हमारे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की सहभागिता के लिए आधार प्रदान करती है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध है जो लोकतंत्र को अधिक गतिशील और वास्तविक बनाएंगी।

औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में हमारा श्रमिक बल हमारी जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उनके कठिन परिश्रम पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। सभी सामाजिक हलचलों के बीच देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिर रहे हैं। यह हमारी वर्षों से अर्जित औद्योगिक व्यवस्था की पूर्णता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनको पूरा मेहनताना मिले। विशेष श्रेणियों के असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम कानून लागू करने के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्र के युवाओं के पूर्ण सहयोग के बिना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हमें अपने युवाओं के विकास तथा प्रगति के लिए उनको हर संभव अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिएं कि वे अपनी उन्नति, समाज की उन्नति तथा देश की उन्नति के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकें। सरकार युवाओं के लिए शहरी तथा ग्रामीण दोनों

क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष ध्यान देगी। सरकार यह प्रयत्न करेगी कि राष्ट्रीय अखण्डता को संजोए रखने तथा देश की एकता को सुदृढ़ करने में युवा सक्रिय रूप से शामिल हों। हाल में राष्ट्रीय युवा परिषद् की एक बैठक हुई। युवकों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाते समय इस बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

यह चिन्ता की बात है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है और कई प्रकार से उनका अनादर हो रहा है। सरकार महिलाओं का संरक्षण करने तथा उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगी। सरकार पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा की सुलभता के संबंध में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों तथा बच्चों के अधिकारों पर अविलम्ब ध्यान देगी। वर्ष 1990 को दक्षेस बालिका वर्ष मनाने के संदर्भ में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्र डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की स्मृति संजोये है। 12 अप्रैल, 1990 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया गया। 14 अप्रैल, 1990 को डॉ. अम्बेडकर को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया। सरकार कमजोर वर्गों और पिछड़ी जातियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और उनके हितों की रक्षा करने तथा उन्हें उत्पादक रोजगार प्रदान करने में सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने, उनमें शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक असमर्थताएं दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना और जनजाति उप योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जायेंगे। अनुसूचित जनजातियों में से अभावग्रस्त और अति दयनीय जातियों जैसे मूल जनजातियों और समूहों, जगह बदलने वाले खेतिहरों और बंधुआ मजदूरों की ओर सरकार का विशेष ध्यान जारी रहेगा। जनजाति बहुल क्षेत्रों का विकास करना सरकार के लिए विशेष महत्व का मामला है। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक अहम भूमिका निभायी है विशेषरूप से आवश्यक वस्तुओं की कमी की स्थिति में। इसको और अधिक प्रभावी बनाना अपेक्षित है। सरकार यह मानती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकास और सामाजिक न्याय के लिए हमारी रणनीति का एक मुख्य घटक बने। सरकार इस बात पर जोर देगी कि गरीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सकारात्मक ढंग से कार्य कर सके। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सतर्क है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य देख-भाल का क्षेत्र विस्तृत किया जाए और इसकी गुणवत्ता में सुधार हो। चिकित्सा की देशी प्रणाली को विकसित करने और समाज के कमजोर तबकों को प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल सेवाएं प्रदान करवाने पर अधिक बल दिया जाएगा। बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग रहेगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर को कम करने के लिए अधिक जोर दिया जाएगा ताकि हमारे विकास प्रयत्नों के लाभ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीमित न रह जाएं।

लोकतंत्र का मूलमंत्र है शिक्षा और साक्षरता। लोगों में फैली निरक्षरता और शिक्षा का निम्न स्तर कमजोर वर्गों के उत्थान और एक अधिक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में मुख्य रूप से बाधक हैं। निरक्षरता दूर करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार निरक्षरता-उन्मूलन के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करे और इसके लिए विश्वविद्यालयों, स्कूलों और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगी। सरकार प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

सरकार ऐसी सुविधाएं पैदा करने को अत्यंत महत्व देती है जिनसे लोगों को उपयुक्त आवास प्राप्त करने में सहायता मिल सके। एक राष्ट्रीय आवास नीति बनायी जा रही है। यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वासभूमि अधिकार देकर मकान बनाने के लिए भूमि के आबंटन को तेज किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण सहायता को भी बढ़ाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रात्रि शरणगृहों के निर्माण के कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध में कमी आई है और इसके बदले उन राष्ट्रों के बीच अधिक समझबूझ और सहयोग की भावना बढ़ी है जो विरोधी खेमों में बंटे थे। इससे हमारी विदेश नीति के सामने नई चुनौतियां आई हैं और उसको नए अवसर मिले हैं। हमारा दृष्टिकोण गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों तथा शांति, निरस्त्रीकरण तथा अधिक न्यायसंगत विश्व स्वास्थ्य के लिए हमारी वचनबद्धता पर अडिग रहेगा। जनवरी, 1991 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे।

सरकार विश्व की प्रवृत्तियों के अनुरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने तथा क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की बात को उच्च प्राथमिकता देती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व का सबसे निर्धन क्षेत्र है। विकास तथा हमारी जनता के बेहतर रहन-सहन के लिए हमारे क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता होना अनिवार्य है।

माले में लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित 5वें दक्षेस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को नई प्रेरणा प्रदान की गई है। हमारी पहल पर शिखर

सम्मेलन ने कुछ नए प्रस्तावों पर विचार करने तथा कुछ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के संबंध में सहमति प्रदान की है। हमें विश्वास है कि राजनैतिक संकल्प को ध्यान में रखते हुए दक्षेस हमारी जनता के प्रत्यक्ष लाभ के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए अग्रसर हो सकता है।

हम अनसुलझे मामलों को बातचीत के माध्यम से हल करने तथा अपने द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए बंगलादेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं।

भूटान और मालदीव के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध कायम रहे हैं और उच्चस्तरीय वार्ता के जरिए मजबूत हुए हैं।

हमने नेपाल में बहु-दलीय लोकतंत्र अपनाए जाने का स्वागत किया है। नेपाल के साथ हमारे परम्परागत निकटवर्ती द्विपक्षीय संबंध पुनः स्थापित हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री की प्रथम द्विपक्षीय यात्रा नेपाल की हुई, यह इस बात का द्योतक है कि उस देश के साथ हमारे संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। हम कई क्षेत्रों में, जिनमें दोनों देशों में बहने वाली नदियों के पानी का उपयोग करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रबंध शामिल हैं, नेपाल के साथ अपना सहयोग बढ़ाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को और अलगाववादी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं और हम द्विपक्षीय मामलों के व्यापक क्षेत्र पर विचार-विमर्श दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हमने पाकिस्तान सरकार पर शिमला समझौते का पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों और इन देशों के लोगों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रांत में युद्ध के कारण भारी संख्या में श्रीलंकाई शरणार्थी भारत में आ गए हैं। हमने अपनी चिन्ता से उनको अवगत करा दिया है और समस्या का शांतिपूर्ण राजनैतिक समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया है जो श्रीलंका की एकता और अखंडता के ढांचे के अंतर्गत श्रीलंकाई तमिलों की उचित आकांक्षाओं को पूरी करता हो।

अफगानिस्तान के साथ हमारी परम्परागत मैत्री राष्ट्रपति नजीबुल्ला की अगस्त, 1990 में नई दिल्ली यात्रा से और अधिक मजबूत हुई है। हमें आशा है कि अफगानिस्तान में रक्तपात और हिंसा बंद होगी। समय की मांग है कि अफगानी लोगों द्वारा स्वयं राजनैतिक समाधान निकाला जाए जिससे अफगानिस्तान को एक संप्रभुता सम्पन्न, स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष देश का दर्जा सुनिश्चित हो सके।

हमने चीन के साथ बेहतर सूझबूझ प्रदान करने वाली प्रक्रिया को जारी रखा है। हमारा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है और हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर एक दूसरे के साथ और अधिक निकटता से परामर्श करना भी आरम्भ किया है। सीमा के प्रश्न का उचित, तर्कसंगत और एक दूसरे को स्वीकार्य हल निकालने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त कार्य दल में बातचीत जारी है। हमें विश्वास है कि भारत और चीन के बीच और अधिक निकट सहयोग, एशिया और विश्व में शांति और स्थिरता के हित में होगा।

सोवियत संघ के साथ हमारे विशेष संबंध हैं और हमारे द्विपक्षीय सहयोग का क्षेत्र काफी व्यापक है। हमारी इच्छा है कि सोवियत सरकार और वहां के लोगों को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के उनके प्रयासों में सफलता हासिल हो। सोवियत संघ ने जरूरत के समय भारत का साथ दिया है और हम उनकी गर्मजोशी और दोस्ती का जवाब हर समय समझदारी और सहयोग से देंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे संबंधों में स्थायी सुधार हुए हैं। अब एक दूसरे की चिन्ताओं और हितों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उच्च तकनीक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम आशा करते हैं कि आपसी हितों के क्षेत्र में हमारा सहयोग और आगे बढ़ेगा।

जापान, हमारे एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। एक एशियाई देश के रूप में, हम उसके द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हैं और द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की आशा करते हैं। भारत और जापान के बीच निकटतर साझेदारी, शांति और प्रगति की दिशा में एक रचनात्मक कदम होगा।

हमने जर्मनी के एकीकरण का स्वागत किया है जो अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की घटना है। हम जर्मनी के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा और एकीकृत जर्मनी के साथ अपने निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध तथा सहयोग बनाए रखे हैं और उन्हें सुदृढ़ किया है।

हम गंभीर रूप से चिंतित हैं कि हमारे एवं अन्य सभी के प्रयासों के बावजूद खाड़ी में युद्ध छिड़ गया है और खाड़ी की घटनाओं ने दु:खद मोड़ ले लिया है। इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा और विश्व की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। विशेषरूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। हम आशा करते हैं कि युद्ध का अन्त होगा। हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके, तुरन्त युद्धविराम और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के अनुरूप इराक द्वारा कुवैत से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा किए जाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमारी पहल पर गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के एक ग्रुप की बैठक बेलग्रेड में आयोजित की गई। हम, युद्ध

समाप्त करवाने और समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने हेतु आम सहमति के लिए सुरक्षा परिषद् के सदस्यों और अन्य राष्ट्रों के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं।

फिलिस्तीनी लोगों का अपने देश की मांग करने का जो अभिन्न अधिकार है उनकी उस न्यायोचित लड़ाई में हम उनको पूरा समर्थन देते हैं। फिलिस्तीन के प्रश्न का न्यायोचित हल निकले बिना पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थायित्व नहीं आ सकता। इस समस्या को बहुत दिनों तक खींचा गया है और अब इसे पूरी गंभीरता के साथ जल्द से जल्द हल कर लिया जाना चाहिए। हम शांति और स्थायी हल निकालने के लिए तत्काल एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए अपना दबाव बनाए रखेंगे, जिसमें सभी संबंधित देश भाग लें।

हम कंबोडिया में दु:खद संघर्ष का शांतिपूर्ण हल निकालने के प्रयासों का समर्थन करते हैं और इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिए तैयार हैं। ऐसे हल में कंबोडिया की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्ष प्रतिष्ठा सुनिश्चित होनी चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका में गम्भीर परिवर्तन हो रहे हैं। अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश, नामीबिया को 21 मार्च, 1990 को स्वतंत्रता मिली। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी अनेक पहल की गई हैं जिनसे रंगभेद समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता निकल सके। अक्तूबर, 1990 में डॉ. नेल्सन मंडेला की भारत-यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी जब सारे देश ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में उनका स्वागत किया।

हम फिजी और अन्य स्थानों में जातिगत आधार पर विभेदीकरण को संस्थागत बनाने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान आप अनेक विधायी उपायों तथा वित्तीय कार्य पर विचार करेंगे।

अब मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप अपने श्रमसाध्य कार्यों में जुट जाएं। संकट की इस घड़ी में भारत की जनता का ध्यान आपकी दूरदर्शिता और विवेक की ओर लगा है। हमने पहले भी उद्देश्य-बोध, अद्‌भुत शक्ति और चुनौती के समय एकजुट होने की क्षमता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि ये गुण एक मजबूत संगठित और समुन्नत भारत के निर्माण में सहायक होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।